न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू-अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 20 / 2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. दुर्जन सिंह पुत्र भंवरसिंह गोदपुत्र सबलसिंह निवासी– बाडमेर आगोर, तहसील बाडमेर।		राज्य जरिये तहसीलदार, बाडमेर
2. श्रीमती सूरज कंवर पत्नी गेनसिंह निवासी– बाडमेर आगोर, तहसील बाडमेर।		

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 152 / 2021 राज्य बनाम उगमसिंह वगैराह में दिनांक 31.12.2021 को पारित किया गया।

उपस्थिती:––

1. श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 7 फरवरी, 2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 152 / 2021 राज्य बनाम उगमसिंह वगैराह में दिनांक 31.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.1.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम बाडमेर आगोर के ख0सं0 1132 व 1133 में चल रहे आवागमन हेतु चालू हालत के रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप में दर्ज कर दिया जावें।

7/2/2022

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

3. जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त खसरान की रकबा भूमि में से हिस्सा भूमि को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.121.2021 को पारित किया है वो अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही तथा बिना उनकी सहमति के ही पारित किया गया है। उक्त आदेश से अपीलान्टगण व्यथित होने से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश रिपोर्ट में यह भी अंकित किया कि अपीलान्ट की खसरा सं. 1131 में पुरानी ढाणी है तथा ख0सं0 1131 में अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हैं। इसके उपरान्त भी अपीलान्ट के द्वारा दीवार बनाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। दुर्जन सिंह का निर्माणाधीन पक्का मकान ख0सं0 3981/1135 में दीवाकर बनाकर रास्ता बंद कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ख0सं0 1131, 1132, 1133 व 3981/1135 में से पूर्व में प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया एवं प्रत्यर्थी को निर्देश दिया कि वह मौके पर रास्ता खुलवाने की कार्यवाही कराये।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 136 राज0 भू राजस्व अधि0 के विपरित जाकर आदेश पारित किया है। उक्त धारा में राजस्व रेकर्ड में हुई लिपिकिय त्रुटि को ही सम्बन्धित पक्षकारान की सहमति उपरान्त दुरूस्त किया जा सकता है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर पक्षकारों के मध्य विवाद होने के कारण रेकर्ड को बिना किसी आधार पर बदला नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त खसरान भूमि में से वर्तमान में कोई रास्ता चलित नहीं हो रहा था इसलिये वहॉ से नये रास्ते का आदेश नहीं दिया जा सकता था। उक्त कथनों के समर्थन/पुष्टि हेतु अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा गुगल मेप का अवलोकन करवाया गया

6. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने पर सम्बन्धित खातेदारान की सहमति लिये बिना ही एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया

7/11/2022

कमिश्नर

है जो अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है। अधिनस्थ न्यालय द्वारा किसी पक्षकार/खातेदार को नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई पक्षकार मौके पर उपस्थित था, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि की पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जावे परन्तु किसी भी तरह की मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई और जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य था।

7. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा अपीलार्थीगण के खातेदारी की ढाणी की भूमि के बीच में से रास्ते की भूमि दी गई है जबकि न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के खते में से रास्ता निकालने से पूर्व उन खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौचय आदेश पारित करते समय इस बात पर गौर नहीं किया।

8. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित ग्राम बाडमेर आगोर के ख0सं0 1131, 1132, 1133 व 3981/1135 में से पूर्व में प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया तथा रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व वर्णित भूमि के दर्ज खातेदारों की सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है जिससे अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है।

9. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि में से किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड उक्त प्रकार से दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है जो कि अधिनस्थ न्यायालय की उक्त प्रकरण की आदेशिका के अवलोकन से ज्ञात होता है। तहसीलदार बाडमेर से विवादित सिल

7/2/2022

कमिश्नर

दिनांक 31.12.2021 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपीलान्टस को अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाना चाहिये था जो अपीलाधीन कार्यवाही में नहीं अपनाया गया है।

10. इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाना पाया गया। उक्त धारा 136 में राजस्व रेकर्ड में पूर्व में हुए इन्द्राज को अपडेट करने में हुई लिपिकिय त्रुटि को सम्बन्धित पक्षकारान की समहति उपरान्त दुरूस्त किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अपीलाधीन प्रकरण जो कि रास्ता रोके जाने तथा रास्ता घोषित किये जाने तथा रास्ता खुलवाने की कार्यवाही का प्रतीत होता है, में इस प्रकार का ऐसा तथ्य या ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाया है जिसे इस धारा 136 के तहत निस्तारित किया जा सके।

11. हमारी विनम्र राय में उपरोक्त आब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत प्रकरण में अपीलार्थीगण की उक्त वादग्रस्त खसरान भूमि की मौका रिपोर्ट अपीलान्टस की उपस्थिति में तैयार करवाई जाकर उसे तलब करने तत्पश्चात अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

12. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलार्थीगण की रकबा भूमि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब करने एवं अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 7 फरवरी, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/2/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर